

उपाजला मीजस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

रामली बनाम शाना सिंह
मु. सं. 53/2024

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

19-1-24 आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थागित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते.....
दि. 01.4.24 को पेश है। मीजस्ट्रेट-0-510
शाना सिंह का नाम है।

01.4.24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
बादी उपस्थित। कोर्टे बैरकर स्कीम
दिनांक 8.5.24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

08.5.24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
बादीगण एवं बादीगण को रुक-रुककर
कोई कार्रवाई लागू नहीं की। कोई
उपस्थित नहीं। पत्रावली को इन्कार
में रहा जमा उसके पश्चात् न्यायालय समक्ष
समाप्त हो पूर्व पुनः आवेदन लागू नहीं
किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उसे
ऐसा प्रतीत होता है कि बादीगण अपेक्षा
बाद के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः बादीगण का बाद बादीगण की
अपना दायरी व अपेक्षा के अंतर्गत
रिक्त जा रहा है। पत्रावली फंसल शुद्ध होकर
कार्यवाही दफ्तर है।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा